तारीख हुक्म	प्र. स. 2023/03 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज संसार वि प्रहलाद व वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24—	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के अवकाश / अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक 21.5.2024 को पेश हो।	
21/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभय पक्ष उप० आये। प्रार्थना-पत्र जवाब 27/5/24 को आवश्यक रूप से पेश करने की हिदायत पर अवसर प्रदान किया जाता है पत्रावली जवाब एवं बहस निर्णय दिनांक 27/5/24 को पेश हो।	
27.5.2024	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील उपस्थित प्रतिवादी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। शामिल पत्रावली किया पत्रावली बराये बहस दिनांक 28.5.2024 को पेश हो।	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप० आये। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.6.24 को पेश हो।	
24/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप० आये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन का अध्ययन किया। मु० नं० दिनांक 14.6.22 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया था। तत्पश्चात Restore हेतु प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. पेश किया जो initial stage पर ही खारिज किया था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
	इसके पश्चात 30/11/22 को मूलवाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र 09 R4 3 माह से भी अधिक समय बाद पेश किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने कहा पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। परन्तु गैर हाजिरी का कोई ठोस कारण / सबूत पेश करने में असफल रहे क्योंकि हलफनामा जो प्रार्थी अधिवक्ता ने पेश किया वो हलफनामा प्रारूप पर पाया नहीं होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र 30 दिन में पेश करना था जो कि 3 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थनापत्र बहस एवं प्रस्तुत नजीरों के परिशीलन उपरान्त पाया कि प्रार्थनापत्र समयातीत, ठोस कारणों एवं सबूत के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति / कार्यवाही से नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।	